RESEARCH REVIEW JOURNALS
Volume-03
Issue-10
October-2018

ISSN: 2455-3085 (Online)
RESEARCH REVIEW International Journal of Multidisciplinary
www.rrjournals.com [UGC Listed Journal]

भारत में ग्राम पुलिसिंगः एक अध्ययन (उ० प्र० के विशेष संदर्भ में)

डॉ० विजेन्द्र सिंह

एसोशिएट प्रोफेसर एवं विभागाध्यक्ष; रक्षा एवं स्त्रातेजिक अध्ययन; सकलडीहा पी० जी० कालेज, सकलडीहा चन्दौली, उ० प्र०

ARTICLE DETAILS

Article History
Published Online: 10 October 2018

Keywords
ग्राम चौकीदार, पुलिसिंग, मुखिया

***Corresponding Author**
Email: vijendradefence[at]gmail.com

ABSTRACT

1947 ई0 के पूर्व लगभग सम्पूर्ण भारत में ग्राम पुलिसिंग सामान्यतः गाँव के मुखिया (Headman) के अधीन ग्राम चौकीदार (Village chowkidar) के द्वारा सम्पादित की जाती थी। ग्राम मुखिया तथा ग्राम चौकीदार से समुदाय (Community) के सेवक के रूप में कार्य करने की अपेक्षा की जाती थी। यद्यपि सैद्वान्तिक तौर पर ये ब्रिटिश साम्राज्य के अधीनस्थ अधिकारियों के प्रति उत्तरदायी होते थे। 1947 के पश्चात् ग्राम मुखिया के कार्य एवं शक्तियाँ काफी हद तक सीमित कर दी गयीं। यद्यपि लगभग पूरे भारत में ग्राम पुलिसिंग की यह प्रणाली न्यूनाधिक संशोधनों के साथ जारी हैं। अपराध में कमी लाने एवं गॉव सभा के जीवन में शान्ति व व्यवस्था बनाये रखने हेतु ग्राम्य पुलिस की अवधारणा का विकास हुआ।

ग्राम पुलिस (चौकीदार) की वर्तमान स्थिति –

ग्राम्य सुरक्षा को महत्व प्रदान किये जाने की दृष्टि से **उ0 प्र0 पुलिस रेगुलेशन** में भी व्यापक उपबन्ध किया गया है,। ग्राम की पुलिस को ग्राम में होने वाली प्रमुख घटनाओं से अवगत होना चाहिये और उन्हें यह प्रयत्न न करना चाहिये कि गॉव में कोई अप्रिय घटना न घटे जिससे शान्ति व व्यवस्था किसी भी रूप में व्यवधानित हो। गॉवों में अपराधियों का पता करने, जन्म–मरण रिपोर्ट देने, अपराध की घटनाओं की सूचना देने हेतु ग्राम्य पुलिस की अपेक्षा महत्वपूर्ण प्रतीत होती है।

ग्राम के मामलों में नियुक्त चौकीदार ग्राम के एक सेवक के रूप में होता है। उसका प्रमुख कार्य गॉवों की देखभाल और उसकी सुरक्षा करना है। वह ग्राम में व्यवस्था बनाये रखने एवं अपराध निवारण के लिये प्रयास करेगा। वह थाने पर ऐसी सूचनायें प्रेषित करेगा जो विधिक रूप से उससे अपेक्षित है। वह मृत्यु एवं अन्य सन्देहात्मक बातों को भी सूचना सम्बन्धित थाने को देगा। ग्राम में नियुक्त ऐसे व्यक्ति का यह कर्तव्य है कि वह अपने कर्तव्यों का पालन सम्यक् तत्परता के साथ करे। उसे विधि द्वारा प्राधिकृत गिरफ्तारियां भी करनी पड़ती है।

ग्राम्य पुलिस के संदर्भ में उ0 प्र0 पुलिस रेगुलेशन के पैरा 89 से 96–क तक में उपबन्ध किया गया है।

पैरा 89 के अनुसार–गॉव का चौकीदार गॉव का एक सेवक होता है। उसका मुख्य कृत्य अपने प्रभार के अधीन आने वाले गॉवों की रक्षा एवं देखभाल करना है। उससे यह अपेक्षा की जाती है कि वह ग्राम प्रधान से रिपोर्ट प्राप्त करें और अपराधियों की खोज करने में सहायता पहुंचाये। उससे यह अपेक्षा कि वह उन गिरफ्तारियों के बारे में जो विधि द्वारा प्राधिकृत हो,वह अपने द्वारा किये जाने वाले कार्यो के सम्बन्ध में जिला मजिस्ट्रेट के प्रति उत्तरदायी होता है।

पैरा 90 के अनुसार–ग्राम चौकीदारों द्वारा भूमि पर कृषि किया जाने की कोई मनाही नहीं है। उन्हें गॉवों में से एक जगह निवास करना चाहिये। उन्हें कान्स्टेबुलरी बल (Constabulary Force) के सदस्यों द्वारा दासत्व (Menial) के कृत्य में नियोजित नहीं किया जाना चाहिये।

पैरा 91 के अनुसार–ग्राम चौकीदारों को जन्म–मरण रिपोर्ट प्रस्तुत करना चाहिये और महीने में दो बार नियत तिथि को हाजिर रहना चाहिये।

पैरा 92 के अनुसार–हर ग्राम पुलिस से यह अपेक्षा की जाती है कि लकड़ी से निर्मित अभिलेख पुस्तक, हाजिरी के लिये तख्ता और जन्म मृत्यु सम्बन्धी छपा–छपाया जन्म–मृत्यु रजिस्टर प्रस्तुत करना चाहिये। वह इन्हें चमड़े से बनी पेटी में रखेगा जिसे थाने में आते समय साथ में लायेगा।

अपराध सम्बन्धी घटनाओं, रिपोर्ट, परितोषण, दण्ड और बेहतर सेवाओं से सम्बन्धित प्रविष्टियॉ थाने के भारसाधक अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित की जानी चाहिये। चौकीदार के क्षेत्र में होने वाली समस्त व्यक्तियों की सूची हिस्ट्रीशीट के संदर्भ में पुस्तक में प्रविष्ट होगी तथा उनके गृह में अनुपस्थिति की समस्त रिपोर्ट उसमें अंकित की जायेंगी।

पैरा 93 के अनुसार–कांस्टेबुलरी बल (Constabulary Force) के सदस्यों द्वारा अपेक्षा व्यक्त किये जाने पर ग्राम्य पुलिस उन्हें सहायता प्रदान करेगी।

दौरे पर रहने वाले अधिकारियों के शिविरों की देखभाल और उनकी रक्षा करने हेतु ग्राम्य पुलिस से सम्बन्धित नियम

इस सम्बन्ध में पैरा 94 में निम्न बातें उल्लेखनीय हैं–

(i) गॉवों के लिये स्वीकृत चौकीदारों की संख्या 2 से कम नहीं होनी चाहिये। बड़े शिविरों हेतु इस संख्या में 6 तक वृद्वि की जा सकती है।

© RRIJM 2015, All Rights Reserved

(ii) कोई चौकीदार प्रति सप्ताह 2 दिन या एक रात से अधिक सेवा में संलग्न न होगा।

(iii) चौकीदारों का चयन पड़ोसी चौकी/शिविरों के संदर्भ में इस प्रकार किया जाये कि यथासम्भव कम से कम गॉव बिना चौकीदार के छोड़े जायें।

(iv) उन चौकीदारों को विशेष भत्ता दिया जाना चाहिये जो शिविरों पर अपने गश्त की जगह छोड़कर पहरा देते है अथवा मार्ग का अनुरक्षण करते है तो उस सम्बन्ध में सम्बन्धित भ्रमण अधिकारी के द्वारा सम्यक् रूप से भुगतान कराया जाय। थानेदारों, अधीक्षकों को उन असावधानियों के किसी दृष्टान्त की रिपोर्ट करनी चाहिये जो भ्रमण अधिकारियों द्वारा की गयी हो।

पैरा 95 में यह उल्लेख किया गया है कि संज्ञेय अपराधों की लिखित सूचना और चुरायी सम्पत्ति की सूची हेतु चौकीदार को प्रारूप संख्या 44 देना चाहिये तथा उसको इस फार्म के प्रयोग की बात समझा देना चाहिये कि वह उस व्यक्ति को दिया जाना चाहिये जो उसकी मांग उपयोग करने हेतु करे और जरिये परिवाद (complaint) जब ऐसा किया जाना अपेक्षित हो जाये तो परिवादी द्वारा हस्ताक्षर के पश्चात् उसे लेकर थाने में दे दे। ग्राम चौकीदारों को इस संदर्भ में सदैव स्पष्ट होना चाहिये कि परिवादियों को लिखित रूप में रिपोर्ट करने को मजबुर न किया जाये। जब कभी कोई चौकीदार थाने में कोई रिपोर्ट लिखित रूप में लाता है तो उसे परिवादी को चेक रसीद की द्वितीय प्रति देनी चाहिये।

पैरा 96–क में इस बात का उल्लेख किया गया है कि पैरा 501 में निहित उपबन्ध ग्राम के चौकीदारों पर लागू होगें बशर्ते यदि शासन के अतिरिक्त उनके विरूद्व कोई व्यवहार या आपराधिक कार्यवाही संस्थित की गयी हो।[i]

बिहार में चौकीदारों की नियुक्ति एवं भूमिका निम्न तीन के द्वारा निर्धारित होती है। (i) द विलेज चौकीदारी एक्ट–1870 (ii) छोटा नागपुर रिउरल पुलिस एक्ट 1914 (iii) द बिहार एण्ड उड़ीसा विलेज एडमिनिस्ट्रेशन एक्ट 1922.

बिहार पुलिस मैनुअल के अनुसार महामारी, आग, फसलों की स्थिति, पशु रोगों, विदेशी लोगों एवं आपराधिक समूहों (Criminal Gangs) के आगमन की सूचना पुलिस को देना चौकीदारों का उत्तरदायित्व है।

कर्नाटक ने भी अपनी ग्रामीण पुलिसिंग प्रणाली (Rural Policing system) को (Revamp) करने का प्रयास किया तथा राज्य सरकार ने 1964 में विशेष विधान (legislation) पास किया जो कि 'विलेज डिफेंस पार्टीज एक्ट 1964' के रूप में जाना है। नये नियम के तहत प्रत्येक गांव अथवा गांवों के समूह में पुलिस अधीक्षक के द्वारा रक्षक (Defence Parties) दल नियुक्त की जाती थी। यह अधिनियम बहुत व्यापक है, तथा इसमें रक्षक दलों के चयन की अर्हता, कर्तव्य और शक्तियां विस्तृत रूप में दिए गए है। किन्तु राष्ट्रीय पुलिस आयोग ने अपनी तीसरी रिपोर्ट में यह माना कि यह प्रणाली भी पर्याप्त ढंग से कार्य नहीं कर रही है। ग्रामीण जनता को यह प्रणाली बहुत पसन्द नहीं आई और रक्षक दलों को राज्य की बाध्यकारी भुजा के विस्तार (extension of the coercive arm of the state) के रूप में देखा। इस अधिनियम में दी गई नियुक्ति अर्हता आदि को अनदेखा किया गया तथा नियुक्तियों में राजनैतिक रंग भी दिखायी देने लगे।

पंजाब चौकीदारी नियम 1 (13 सितम्बर 1965 को अधिसूचित) के अनुसार एक ग्राम के लिए एक या अधिक ग्राम चौकीदार नियुक्त किए जा सकेंगे। नियम–5 के अनुसार जहाँ किसी गाँव में ग्राम चौकीदारों (Village watchman) की संख्या पाँच या उससे अधिक है, इनमें से कोई प्रधान ग्राम चौकीदार के रूप में नियुक्त होगा तथा उसे ''दफादार'' के पदनाम से जाना जाएगा।

नियम–2 (2) के अनुसार यदि किसी गाँव में ग्राम चौकीदार का पद नहीं होगा तो पुलिस उपायुक्त के आदेश से ग्राम चौकीदार का पद सृजित किया जा सकेगा।

नियम–3 के अनुसार 5–10 घरों पर एक, 100–200 घरों पर दो, 200–300 घरों पर तीन तथा इसी तरह आगे भी चौकीदारों की नियुक्ति होगी।

नियम–6 के अनुसार ग्राम चौकीदार या दफादार का नामांकन ग्राम प्रधान (Village Headman) के द्वारा होगी।

नियम–11 के अनुसार डिप्टी कमिश्नर या उनके द्वारा अधिकृत कोई अधिकारी उनकी जिम्मेदारी पर किसी ग्राम चौकीदार या दफादार को किसी दुराचरण (Misconduct) या कर्तव्य में लापरवाही (Neglect of Duty) या अपने कर्तव्य के निर्वाह के लिए आवश्यक शारीरिक अनुपयुक्तता (Phyzical Unfitness) के आधार पर पद से हटा सकता है।

नियम–12 के अनुसार ग्राम चौकीदार के पास एक भाला (Spear) या गदा (Club) और एक तलवार (Sward) होगी तथा उसकी वर्दी में नीले रंग की चपकन और नीले रंग की एक पगड़ी होगी। शस्त्र एवं वर्दी राजस्व अधिकारियों द्वारा इस हेतु ग्राम समुदाय से किए गए संग्रह से प्रदान की जायेगी।

नियम–14 के अनुसार ग्राम चौकीदार ग्राम समुदाय का सेवक होता है, इस तरह वह ग्राम मुखिया (Village headman) की आदेशों का पालन करने के लिए बाध्य होता हैं।

(पंजाब चौकीदार रुल्स के तहत् पुलिस उपायुक्त (Deputy Commission) को चौकीदारों की संख्या बढ़ाने तथा उनके पद सृजन का अधिकार दिया गया है।)

नियम–18 के अनुसार प्रत्येक ग्राम मुखिया (Village headman) तथा ग्राम चौकीदार यह देख–रेख करेंगे और

© RRIJM 2015, All Rights Reserved

समय–समय पर अधिकारियों को सूचित करेगें कि अपने ग्राम या बीट (Beat) के सभी दुष्चरित्र लोगों का आवागमन एवं पड़ोस के संदेहास्पद चरित्र के लोगों के पहुंचने की सूचना देंगे।

नियम–19 के अनुसार प्रत्येक ग्राम मुखिया तथा ग्राम चौकीदार अपने गाँव में निवास करने वाले किसी– या अपने जाने की बिना सूचना दिये रात्रि ठहराव न करने वाले और खराब छवि के लोगों के साथ उसकी संगति या – या इमानदारी से आजीविका चलाने की समय रहते सूचना सक्षम अधिकारियों को देगें।

नियम–20 के अनुसार प्रत्येक ग्राम मुखिया तथा ग्राम चौकीदार अपने गाँव में निम्न अपराधों के घटने या घटित होने की सम्भावना की सूचना उच्चाधिकारियों को देगा–

Rioting;
Concealment of birth by secret disposal of dead body, causing miscarriage,
Exposure of a child,
Mischief by fire,
Mischief to animals by poisoning (Attempt to commit or abetment of the commission of any of the above offences) and Attempt to commit culpable homicide,

नियम 22 के अनुसार प्रत्येक ग्राम मुखिया तथा ग्राम चौकीदार को मृत्यु पंजिका तथा जन्म पंजिका रखना आवश्यक होगा। उसे मृत्यु पंजिका में कोई सूचना दर्ज करने के एक सप्ताह के भीतर क्षेत्र के पटवारी का हस्ताक्षर अवश्य कराना होगा।

नियम 23 के अनुसार–अपने ग्राम सभा में फेलने वाली महामारी की सूचना, जानवरों या पशुओं में, सम्बन्धित थानाध्यक्ष व पटवारी को देना चाहिए।[ii]

उड़ीसा में 2500 ग्राम चौकीदारों की सेवा समाप्त कर दी गयी तथा शीध्र ही 1965 में ग्राम रखी (Gram Rakhis) की नियुक्ति की एक नयी प्रणाली लायी गई। वे वही कार्य करते थे जो कि चौकीदार करता था। ग्राम रखी आवश्यक रूप से नागरिक स्वयंसेवक (Civilian Voluntears) होते थे जो पुलिसिंग का कार्य करते थे। सामान्यतः वे चौकीदार की अपेक्षा अधिक शिक्षित एवं अधिक भुगतान प्राप्त करते थे। किन्तु प्रशासनिक रूप से वे जिलों के राजस्व विभाग के अन्तर्गत आते थे। इसका तात्पर्य यह है कि उन्हें मूल पुलिसिंग तकनीक (Basic Policing Technique) (जैसे वैज्ञानिक ढंग से सूचना देने एवं जाँच करने) में प्रशिक्षण नहीं प्राप्त होता था। इस तरह यह पद्वति लाभदायक नहीं सिद्व हो सकी। 1963 ई0 में उड़ीसा में गाँवों के साथ सम्बन्ध बनाये रखने (Liaison) के लिए बीट कांस्टेबलों (Beat Constables) की नियुक्ति की जाने लगी। किसी प्रकार, वित्तीय बाधाओं के कारण, मात्र 1500 कांस्टेबलों की ही नियुक्ति 50,000 गाँवों को निरीक्षित करने के लिए की जा सकी।[iii]

द महाराष्ट्र विलेज पुलिस एक्ट–1967 के अनुसार ग्राम पुलिस को पुलिस पाटिल कहा जाता है। इस एक्ट की धारा 15(1) के अनुसार अपने कार्य क्षेत्र के अन्तर्गत किसी जांच के दौरान पुलिस पाटिल को यह अधिकार है कि वह गवाहों (witness) को बुला सकता है, उनके अभिकथन (Statement) दर्ज कर सकता है और चोरी हुई वस्तु की खोज इस बात का ध्यान रखते हुए कर सकता है कि बिना किसी आवश्यक कारण किसी निवास/ मकान में सूर्यास्त एवं सूर्योदय के बीच कोई खोज–बीन न हो। [iv]

राजस्थान पुलिस अधिनियम–2007 के अनुसार सेक्शन 48(i) के अनुसार जिला पुलिस अधीक्षक किसी व्यक्ति को ग्राम रक्षक (village guard) अपने अधीन आने वाले पुलिस जिले के अन्तर्गत एक गांव अथवा गांवों के समूहों के लिए निर्धारित ढंग से का कार्य करने के लिए भर्ती कर सकता है।

राजस्थान पुलिस एक्ट, 2007 के खण्ड 48(i) (Section-48(b) के अनुसार जिला पुलिस अधीक्षक अपने क्षेत्राधिकार में आने वाले पुलिस जिले के एक गांव या गांवों के समूह के लिए एक व्यक्ति को निर्धारित ढंग से ग्राम रक्षक (village guard) के रूप में कार्य करने के लिए नियुक्त कर सकता है।

खण्ड 48(2) के अनुसार शारीरिक रूप से समर्थ व्यक्ति जिसकी उम्र 130 वर्ष से कम न हो तथा 55 वर्ष से अधिक न हो और उस ग्राम का, या गांवों के समूह की स्थिति में उस समूह के किसी गांव का निवासी हो, ग्राम रक्षक (village guard) के रूप में भर्ती कर सकता है।

खण्ड 48(3) के अनुसार जिला पुलिस अधीक्षक भर्ती के समय प्राथमिकता के निम्न क्रम का प्रेक्षण करेंगे–

(a) राज्य सरकार का कोई कर्मचारी,ऐसी भर्ती के लिए उसके कार्यालय प्रधान की पूर्व अनुमति के अधीन,

(b) स्थानीय निकाय का कोई कर्मचारी या किसी अन्य संस्थान जो आंशिक रूप से केन्द्र या राज्य सरकार से नियंत्रित होती हो, ऐसी भर्ती के लिए उसके कार्यालय प्रधान की पूर्व अनुमति के अधीन

(c) होम गार्ड वालंटियर

(d) पूर्व सेवा कर्मी (Ex-servicemen)

खण्ड 48(4) के अनुसार कोई भी ऐसा व्यक्ति ग्राम रक्षक नहीं नियुक्त हो सकता है यदि

(a) वह नैतिक अधमता से सम्बन्धित किसी अपराध में दोष सिद्व पाया गया हो,

(b) उसके विरूद्व कोई आपराधिक केस दर्ज हुई हो अथवा विचाराधीन हो,

(c) वह किसी राजनीतिक दल का सदस्य है या उससे सम्बद्ध है या

(d) उसके पास निर्धारित शैक्षणिक योग्यता नहीं है।

© RRIJM 2015, All Rights Reserved

खण्ड 49 के अनुसार ग्राम रक्षक के रूप में नियुक्त किसी व्यक्ति के एक कार्यकाल की अवधि 3 वर्ष होगी। इस कार्यकाल का विस्तारीकरण एवं नवीनीकरण नहीं होगा। किसी भी ग्राम रक्षक को उसकी संवावधि में हटाया जा सकता है यदि वह खण्ड 48 के उप खण्ड (4) में निर्दिष्ट अयोग्यताओं का वहन करता है या ग्राम रक्षक के रूप में अपने कर्तव्यों एवं उत्तरदायित्व के निर्वहन में लापरवाही करते हुए पाया जाता है।

धारा 54 के अनुसार प्रत्येग ग्राम रक्षक (village Guard) को एक पहचान बैज (Identity Badge) तथा एक फोटो पहचान पत्र जैसा कि निर्धारित है, प्रदान किया जाएगा।[v]

उत्तर प्रदेश एवं उत्तराखण्ड में ग्राम पुलिसिंग से सम्बन्धित नियमों व अधिनियमों में बहुत अधिक साम्यता है। उत्तराखण्ड में ग्राम चौकीदार को ग्राम रक्षक कहा जाता है। किन्तु सम्बन्धित नियम एवं अधिनियम उत्तर प्रदेश की अपेक्षा उत्तराखण्ड में अधिक उपयुक्त एवं सटीक है। उत्तर प्रदेश में कोई भी व्यक्ति (जिसे जिला मजिस्ट्रेट नियुक्त करता है) ग्राम पुलिस (चौकीदार) नियुक्त हो सकता है यदि वह सामान्य नागरिक होने की अर्हतायें रखता हो तथा न्यायालय द्वारा किसी अपराध में दोषी न ठहराया गया हो। किन्तु सामान्यतः यह पद वंशानुगत ही होता है। जबकि उत्तराखण्ड पुलिस अधिनियम के अध्याय 6 की धारा 56(1) के अनुसार ग्राम रक्षकों की भर्ती पुलिस अधीक्षक द्वारा की जाती है। धारा 56(2) के अनुसार

ग्रामीण क्षेत्रों में रक्षकों की भर्ती–

(1) एक पुलिस जिला के प्रत्येक गांव अथवा गांवों के समूह में इस निमित्त विहित नियमों के अनुसार विहित कार्यकाल के लिए, पुलिस अधीक्षक द्वारा भर्ती किया गया एक रक्षक रखा जाएगा।

(2) गांव अथवा सम्बन्धित गांवों के समूह में रहने वाला 30 से 60 वर्ष की आयु के वर्ग का स्वस्थ व्यक्ति, निम्नलिखित, निर्धारित वरीयता क्रम में रक्षक के रूप में भर्ती किए जाने के लिए पात्र होगा–

(ए) भूतपूर्व–सैनिक/अर्द्धसैनिक

(बी) होमगार्ड स्वयं सेवक/प्रान्तीय रक्षक दल (पी.आर. डी.)

(सी) ऐसा खिलाड़ी, जिसने राज्य स्तर पर जिला का प्रतिनिधित्व
किया है और

(डी) अन्य कोई व्यक्ति।

(3) किसी भी ऐसे व्यक्ति को भर्ती नहीं किया जाएगा, जो निम्नलिखित निर्धारित निरहर्ताएं रखता हो –

(ए) यह नैतिक अधमता से सम्बन्धित अपराध के लिए दोषी ठहराया गया है।

(बी) उसके विरूद्व आपराधिक आरोप से सम्बन्धित मामले पर या तो विचार किया जा रहा है या मामला अन्वेषणाधीन है।

(4) ग्राम रक्षक के रूप में सूचीबद्व किसी व्यक्ति की पदावधि तीन वर्षो की होगी जनपदीय पुलिस अधीक्षक द्वारा यह पदावधि बढ़ाई या नवीनीकृत की जा सकती है।

परन्तु किसी भी ग्राम रक्षक को उसकी सूचीबद्वता के चालू रहने के दौरान उसके समनुदेशन से हटाया जा सकेगा, वह यदि उप–धारा (3) में विनिर्दिष्ट अपात्रताओं में से कोई भी उपगत करता है या ग्राम रक्षक के रूप में उसके कर्तव्यों और उत्तरदायित्वों के निर्वहन में उपेक्षावान पाया जाता है।

गांव के रक्षक की पहचान–

(1) पुलिस जिला में प्रत्येक रक्षक को पुलिस अधीक्षक या उसके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी द्वारा पहचान के लिए एक चिन्ह (Badge) वर्दी और एक फोटो पहचान पत्र प्रदान किया जाएगा।

(2) ऐसा व्यक्ति गांव का रक्षक न रहने पर पुलिस अधीक्षक या उसके द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी को, पहचान का बैज, वर्दी, फोटो पहचान पत्र और गांव के रक्षक के रूप में उसके द्वारा किए गए समस्त अभिलेख और दस्तावेज तत्काल सुपुर्द करेगा।

रक्षक के कर्तव्य और उत्तरदायित्व–

रक्षक के कर्तव्य और उत्तरदायित्व निम्नलिखित होंगे, अर्थात्–

(1) गांव में किसी अपराध के घटने पर या विधि और व्यवस्था की परिस्थिति के सम्बन्ध में, पुलिस थाने में यथाशीघ्र रिपोर्ट करना और अपराधियों को पकड़वाने में पुलिस की सहायता करना।

(2) किसी संदिग्ध गतिविधि, संदिग्ध व्यक्तियों के आने–जाने अथवा गांव में किसी षडयंत्र के सम्बन्ध में, जिससे अपराध अथवा कानून और व्यवस्था भंग होने की संभावना हो, किसी सूचना के प्रति सतर्क और संवेदनशील रहना और ऐसी सूचना को पुलिस थाने में तत्परता से पहुंचाना।

(3) दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 43 के अधीन, किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को शस्त्रों, गोला बारूद, सम्पत्ति या किसी आपत्तिजनक अथवा संदिग्ध वस्तु, यदि कोई हो, जो उससे अधिगृहित की गयी हो, गिरफ्तार करने या पुलिस थाने को सौंपने में किसी जनता के व्यक्ति की अविलम्ब सहायता करना। यदि गिरफ्तार व्यक्ति कोई महिला है तो पुरूष रक्षक के साथ एक महिला भी जाएगी।

(4) पुलिस के आने तक अपराध के स्थल की सुरक्षा और परीक्षण सम्यक रूप से यह सुनिश्चित करना कि उसके साथ उत्सुक दर्शकों अथवा किसी अन्य व्यक्ति द्वारा छेड़छाड़ नहीं की जा सकती है।

(5) पुलिस अधीक्षक द्वारा साधारण और विशेष आदेश के माध्यम से विहित गांवों में ऐसी गतिविधियों और घटनाओं

© RRIJM 2015, All Rights Reserved

की रिपोर्ट करने के लिए जिनका अपराध, कानून और व्यवस्था तथा अन्य पुलिस व्यवस्था से सम्बन्ध होगा, न्यूनतम् अवधियों के अंतराल पर पुलिस थाने के प्रभारी से भेंट करना।

(6) विहित अभिलेख और रजिस्टरों को रखना।

(7) पुलिस व्यवस्था से सम्बन्धित जनता की तकलीफों और शिकायतों को रिकार्ड करना और गांव में अपराध तथा कानून और व्यवस्था से सम्बन्धित मामलों पर ग्राम पंचायत से सम्पर्क बनाना और

(8) ऐसे अन्य साधारण कर्तव्यों का पालन करना, जैसा जिला मजिस्ट्रेट अथवा पुलिस अधीक्षक निर्देश दें।[vi]

पश्चिम बंगाल सरकार ने 2012 में 3341 ग्राम चौकीदारों की भर्ती करने का निर्णय लिया था। जिससे प्रारम्भ में प्रत्येक ग्राम पंचायत में एक चौकीदार कार्य कर सके। बाद में प्रत्येक गांव में एक चौकीदार के नियुक्ति की योजना बनाई तथा विज्ञापन प्रकाशित किया। चौकीदार पुलिस की पहली श्रेणी (tier) के रूप में कार्य करेगें। उन्हें रू. 310/–मात्र। प्रतिदिन भुगतान मोबाइल फोन एवं एक नीली वर्दी दिये जाने की योजना थी। इन्हें 'विलेज पुलिस वालंटियर' नाम दिया गया है। ब्रिटिश चौकीदारी एक्ट–1870 चौकीदारों के वेतन के लिए पंचायतों को लोगों पर कर (tax) अधिरोपित करने के लिए बाध्य करता है। किन्त पं0 बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने चौकीदारों को सरकारी कोषसे पारिश्रमिक प्रदान करने की बात पर सहमत थी। पं. बंगाल में VPW के लिए 10वीं पास होने की अनिवार्यता है। साथ ही साथ इनकी नियुक्ति 1 वर्ष के लिए की जाती है। VPW का यह भी कार्य है कि वह शांति एवं व्यवस्था बनाये रखने सम्बन्धित सरकारी नीतियों/दिशा–निर्देशों के कार्यान्वयन में सक्रिय भागीदारी निभायेगा तथा ऐसी सभी पहल करेगा जिससे ग्राम पंचायत के साधारण लोग ऐसी नीतियों, निर्देशों, नियमों तथा कानून आदि के बारे में जागरूक रहें।[vii]

तमिलनाडु में ग्राम पुलिस कलेक्टर एवं उसके अधीनस्थों के पूर्ण नियन्त्रण में होती है तथा सामान्य पुलिस को मदद करती है। ग्राम पुलिस को प्राथमिकी दर्ज करने का अधिकार नही होता।[viii]

एक समय था जब ग्रामीण इलाके में लाल पगड़ी बॉधे चौकीदार पुलिसिंग सिस्टम के प्रतिनिधि के तौर पर पहचाने जाते थे, लेकिन बदलते दौर के साथ उनकी पहचान गुम होती चली गई। चौकीदारों का महत्व कम होने से ग्रामीण इलाकों से छनकर पहुॅचने वाली सूचनाओं पर विराम लग गया। चौकीदारों के सहारे ही थानों तक पहुॅचने वाले मुखबिर भी पुलिस से कट गये। उ.प्र. में 97 हजार राजस्व ग्राम हैं और करीब 60 हजार चौकीदार तैनात हैं। यहॉ चौकीदारो के 68445 पद स्वीकृत हैं। चौकीदार आम आदमी और पुलिस के बीच की कड़ी है। उसे महत्व देकर हम दोनो के बीच सामंजस्य बना सकेगें। इसके लिए हम नये दौर के हिसाब से चौकीदारों को प्रशिक्षित कर उनकी जिम्मेदारी और जवाबदेही तय करेगें।[ix]

गृह विभाग संभालने के बाद प्रमुख सचिव (गृह) दीपक सिंघल नें राजस्व ग्रामों में चौकीदारों की तैनाती की प्रक्रिया शुरू कर दी। इसके पहले प्रमुख सचिव गृह थे तो उन्होने भी इस प्रक्रिया की शुरूआत की थी। सरकार चौकीदारों की भर्ती में इस बात का ख्याल रखेगी कि कम से कम वे साक्षर हों और कोई चीज लिखकर भी थाने पहुॅचा सकें। इसलिए कम से कम शैक्षिक योग्यता कक्षा आठ पास अनिवार्य होगी।[x]

वास्तव में चौकीदार सामान्यतः पासवान (पासी) जाति के लोगों को ही बनाया जाता था। बिहार मे इस जाति के लोग दुसाध जाति के नाम से भी जाने जाते हैं। बिहार में भी दुसाध जाति के लोग ही अधिकतर चौकीदार हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि निम्न श्रेणी की जातियों में इन्हें अपेक्षाकृत लड़ाकू प्रवृत्ति का माना जाता था जिस तरह उच्च जाति में क्षत्रियों को। साथ ही साथ कालान्तर में यह पद वंशानुगत हो गया।

यही कारण है कि आज भी इस पद पर अधिकांशतः पासवान (पासी, दुसाध) जाति के लोग ही नियुक्त होते हैं। कुछ ग्राम सभाओं में अन्य छोटी जातियों (जैसे–कोल, धरकार आदि) के लोग भी चौकीदार के रुप में नियुक्त हैं, किन्तु उनकी संख्या अत्यन्त कम है।

ग्राम पुलिसिंग एवं कम्यूनिटी पुलिसिंग में स्थानीय आम जनता की ही प्रभावी भूमिका है। आधुनिक समाज में समय बीतने के साथ–साथ पुलिसिंग के प्रति आम जनता की भूमिका दिन–प्रतिदिन बढ़ती जायेगी। किन्तु ग्राम पुलिसिंग एवं कम्यूनिटी पुलिसिंग में प्रायः लोग भेद नही कर पाते हैं। निम्न तालिका से यह अन्तर स्पष्ट होता है।

तालिका : 1
ग्राम पुलिसिंग एवं कम्यूनिटी पुलिसिंग में तुलना

कम्यूनिटी पुलिसिंग	ग्राम पुलिसिंग
कम्यूनिटी पुलिसिंग एक व्यापक अवधारण है।	ग्राम पुलिसिंग कम्यूनिटी पुलिसिंग का ही एक स्वरूप है।
पुलिस कर्मियों एवं जनता के बीच दूरी को कम करना। अपराध एवं व्यवस्था में जनता की भागीदारी सुनिश्चित करना।	गांवों में होने वाले अपराधों एवं अव्यवस्था की सूचना मुख्य पुलिस तंत्र एवं अधिकारियों तक पहुंचाना। मुख्य पुलिस तंत्र एवं जनता के बीच कड़ी का कार्य करना।
इस संकल्पना का (आधुनिक कम्युनिटी पुलिसिंग)प्रारम्भ 1960–80 के बीच संयुक्त राज्य अमेरिका में माना जाता है जो 1980 तक विश्व के कई देशों इंग्लैंड, जापान, जर्मनी,	भारत में प्राचीन काल से ही पुलिसिंग गांव के मुखिया तथा कभी कभी उसके एक सहायक (जो कि चौकीदार होता था) के माध्यम से होती थी। ब्रिटिश काल में भी यह प्रणाली बनी रही

© RRIJM 2015, All Rights Reserved

कनाडा, सिंगापुर आदि में फेल गया।	जो न्यूनाधिक संशोधनों के साथ कई राज्यों में आज भी जारी है।
कम्यूनिटी पुलिसिंग के तहत संख्या में अधिकलोगों को सामाजिक शांति एवं व्यवस्था बनाए रखने के लिए अधिकार प्राप्त होते ळें	ग्राम पुलिसिंग में केवल चौकीदार को ही विशेषाधिकार प्राप्त होता है जो कि अपेक्षाकृत काफी अधिक होता है।
कम्यूनिटी पुलिसिंग में सामान्य पब्लिक ग्राम चौकीदार की अपेक्षा नियमित पुलिस से दूर होती है।	ग्राम पुलिसिंग के तहत ग्राम चौकीदार नियमित पुलिस के अधिक सन्निकट होता है।
कम्यूनिटी पुलिसिंग में निचले स्तर के पुलिस अधिकारियों की जमीनी स्तर पर मुख्य भूमिका होती है।	ग्राम पुलिसिंग में मुख्य भूमिका ग्राम पुलिस (चौकीदार) की ही होती है।
जनता एवं पुलिस की बराबर की भूमिका होती है।	सामान्य जनता की भूमिका कम होती है जबकि ग्राम चौकीदार एवं ग्राम मुखिया मुख्य भूमिका में होते है।

सुझाव (Suggestions)

(1) अब शिक्षित लोगों को ही चौकीदार रखा जाना चाहिए जिनका चयन साक्षात्कार बोर्ड के माध्यम से होना चाहिए। साक्षात्कार बोर्ड में सम्बन्धित ग्राम पंचायत के ग्राम प्रधान, उस ग्राम पंचायत क्षेत्र में आने–वाले उच्चतम शैक्षणिक संस्थान के प्रमुख, सम्बन्धित थानाध्यक्ष को अवश्य होना चाहिए। शिक्षा का स्तर कम से कम हाईस्कूल रखा जाना चाहिए।

(2) ग्राम चौकीदारों का एक संघ (Association) होना चाहिए जिससे उन्हें अपने हितों को सुरक्षित रखने एवं अधिकारों को प्राप्त करने के लिए सुविधा हो।

(3) ग्राम चौकीदारों के ड्रेस से धोती को हटाकर खाकी पैंट रखा जाना चाहिए जिससे प्रतीकात्मक रूप से ग्राम चौकीदार पुलिस व्यवस्था (Police System) का एक अभिन्न अंग परिलक्षित हो।

(4) ग्राम चौकीदारों का चयनोपरान्त (एक बार) प्रशिक्षण अनिवार्य होना चाहिए, जिससे ये अपने अधिकार एवं कर्तव्यों के बारे में सम्यक रूप से जानकारी प्राप्त कर सकें। प्रशिक्षण दाताओं के रूप में वर्तमान उपनिरीक्षक, सेवानिवृत्त थानाध्यक्ष व सेवानिवृत्त चौकीदारों की सेवाएँ ली जानी चाहिए, जिससे इन्हें विधिक एवं व्यावहारिक ज्ञान दोनो अवश्य प्राप्त हो जाय। हर पाँच साल पर इनके थानों में सामूहिक प्रशिक्षण की व्यवस्था होनी चाहिए।

(5) प्रत्येक ग्राम पंचायत में एक ''ग्राम पंचायत सुरक्षा समिति'' अवश्य होनी चाहिए जिसका प्रमुख ''ग्राम पंचायत का प्रधान'' एवं सचिव (पदेन) ग्राम चौकीदार को होना चाहिए। ग्राम सुरक्षा समिति का द्वितीय क्रम का अधिकारी ''उप ग्राम प्रधान'' को होना चाहिए। अन्य सदस्यों में ग्राम पंचायत के दूसरे पदाधिकारियों (निर्वाचित/गैर–निर्वाचित/नियुक्त) को रखा जा सकता है।
इससे ग्रामीण लोगों में सुरक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ेगी। लोग स्वयं अपने एवं ग्राम–चौकीदार के अधिकार एवं कर्तव्यों के बारे में जान पायेंगे।

(6) ग्राम चौकीदार का पद वंशानुगत होना ही नहीं चाहिए। इससे ग्राम चौकीदार अपने कर्तव्यों के प्रति धीरे–धीरे लापरवाह एवं उदासीन हो जाते हैं।
ग्राम चौकीदारों का चयन मात्र पाँच वर्ष के लिए होना चाहिए। कोई भी एक व्यक्ति लगातार दो कार्यकाल के लिए ग्राम–चौकीदार न नियुक्त हो सके। अर्थात् एक बार ग्राम चौकीदार नियुक्त होने के बाद पुनः पाँच साल के उपरान्त ही वह दोबारा आवेदन कर सके, ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए।
इससे ग्राम चौकीदार अपने कार्य के प्रति सजग रहेंगें।

(7) प्रथम पुलिस आयोग (1860) एवं द्वितीय पुलिस आयोग (1902–03) में की गयी संस्तुतियों एवं उसकी रिपोर्ट की मूल भावना को जो कि ग्राम पुलिस से सम्बन्धित है, बदली हुई परिस्थितियों के अनुसार संशोधन करके लागू किया जाना चाहिए।
(8) ग्रामवासियों में ग्राम–पुलिसिंग के प्रति जागरूकता फैलाने के उपाय किए जाने चाहिए। इसके लिए सरकार की ओर से समाचार–पत्रों, पत्रिकाओं, टेलीविजन चैनलों पर विज्ञापन दिए जा सकते हैं।
इससे लोग ग्राम–चौकीदार के अधिकार एवं कर्तव्यों तथा स्वयं के अधिकार एवं कर्तव्यों के बारे में जानकारी प्राप्त कर उनका आवश्यकता पड़ने पर उपयोग कर सकेंगे।

(9) ग्राम–चौकीदार (ग्राम–पुलिस) को नियमित पुलिस के अधीन न रखकर उसका सहयोगी ही बनाना चाहिए। (द्वितीय पुलिस आयोग–1902–03)। ग्राम चौकीदार को ग्राम पंचायत का ही अभिन्न अंग बने रहने देना चाहिए।

(10) ग्राम चौकीदार का वेतन सीधे जिला पुलिस मुख्यालय से उनके बैंक खाते में स्थानान्तरित किया जाना चाहिए। इससे ग्राम–चौकीदार स्वतंत्रता पूर्वक बिना किसी के दबाव में आये, अपनी भूमिका का निर्वाह कर सकेंगे।
(11) ग्राम चौकीदार के अधिकार एवं कर्तव्यों में व्यापक वृद्वि की जानी चाहिए।

(i) ग्राम–चौकीदार द्वारा 24 धंटे में एक बार पूरे ग्राम पंचायत क्षेत्र का भ्रमण किया जाना, अनिवार्य होना चाहिए। भ्रमण का समय प्रतिदिन के लिए (एक ही)

© RRIJM 2015, All Rights Reserved

नियत नहीं होना चाहिए। भ्रमण कभी कभी रात्रि में भी किया जाना चाहिए।

(ii) ग्राम–चौकीदार का वेतन सम्बन्धित राज्य के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के मूल वेतन के बराबर होना चाहिए।

(iii) ग्राम–चौकीदार को सम्बन्धित सरकार द्वारा मोबाइल फोन अवश्य प्रदान किया जाना चाहिए जिसके क्रमांक की जानकारी सम्पूर्ण ग्राम वासियों को रहे। इससे ग्राम–चौकीदार सम्बन्धित ग्राम पंचायत क्षेत्र की जनता व सम्बन्धित थाने से सदैव सीधे सम्पर्क में रहेगा।

(iv) ग्राम चौकीदार को सम्बन्धित ग्राम पंचायत की सीमा के अन्तर्गत एक निश्चित न्यूनतम धनराशि तक जुर्माना लगाने व वसूलने का अधिकार होना चाहिए। ऐसा सम्बन्धित क्षेत्र में सरकारी सम्पत्ति को नुकसान पहुँचाने तथा चोरी, छिनैती, रहजनी करने अथवा इनका प्रयास करने अथवा ऐसा कोई कार्य जिससे सम्बन्धित क्षेत्र की जनता के जान एवं माल आदि को क्षति पहुँचे अथवा क्षति पहुँचने की सम्भावना हो, के एवज में दण्ड स्वरूप होना चाहिए।

(12) चौकीदारों से सम्बन्धित कोई भी नीति/योजना बनाते समय द्वितीय पुलिस आयोग (Second Police Commission) की रिपोर्ट की मूल भावना मंशा एवं अनुशंसा का सदैव ध्यान रखा जाना चाहिए।

सन्दर्भ

[i] मिश्र ओमप्रकाश (2011), *पुलिस अधिनियम 1861 एवं उ0 प्र0 पुलिस विनियम*, सेंटल ला एजेंसी, इलाहाबाद,

[ii] द पंजाब चौकीदार रुल्स भाग 5 गृह विभाग नोटिफिकेशन, 13 सितम्बर 1965 (Published in Punjab Government Gazette, Legislative supplement Ordinary dated the 17th September 1965)

[iii] तृतीय नेशनल पुलिस कमीशन (1980) की रिपोर्ट पृष्ठ,13

[iv] द महाराष्ट्र विलेज पुलिस एक्ट–1967

[v] राजस्थान पुलिस एक्ट, 2007

[vi] उत्तराखण्ड 'ग्रामीण क्षेत्रों मे रक्षकों की नियुक्ति नियमावली 2008

[vii] Memo 878/Org./Org./118/2011 West Bengal Police Directorate Writers Building, Kolkata-1 Date 18.6.2012

[viii] जनसूचना अधिकारी, पुलिस महानिदेशक कार्यालय, तमिलनाडु चेन्नई 04 द्वारा जन सूचना अधिकार अधिनियम–2005 के तहत दिनांक 19.03.2015 को दी गई सूचना

[ix] दैनिक जागरण,वाराणसी, 12 जून 2014 पृष्ठ,11

[x] तदैव

© RRIJM 2015, All Rights Reserved